

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR - I, KOTA

KOTA-I

(Rule 75 & 131)

FEES RECEIPT

Fee Sr. No. : 2013003386

Presenter Name : DR ZAFAR MOHD

Presenter Address : 29-BEHIND AKASHWANI

Document Type : LEASE DEED FOR LOCAL

Document S. No. : 2013003488

Dated : 01/03/2013

Face Value : 244231

NAYAPURA KOTA

BODIES (PATTA)

Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee : 2450 | Commission Fee : 0

Copy/Scanning/Inspection Fee : 300 | Custody Fee : 0

Fee for Memorandum u/s 64-67 : 0 | Miscellaneous Fee : 0

Certified Copying Fee u/s 57 : 0 | Stamp Duty Cash : 0

Surcharge on Stamp Duty : 0 |

Late Fee u/s 25-34 : 0 |

TOTAL : 2750

Amount Rs. Two Thousand Seven Hundred Fifty only


Sub Registrar, KOTA
Cashier



नगर विकास न्यास, कोठर

संशोधित प्रमाण पत्र

क्रमांक :- 1131



1. भूस्वामी का नाम : आर. रम. एन्ड्रेथनल डॉस्ट
2. पिता / पति का नाम : मेनेजिंग ड्रस्टी. डॉ. जफर नेहमान डॉ. सुल नेहमान
3. भूखण्ड संख्या : द्ववश्वर सं. 30, 38, 39
4. योजना का नाम / ग्राम का नाम : ग्राम देवली ड्ररब

5. क्षेत्रफल : 12136.81 वर्ग गज

6 वार्षिक नगरीय कर की राशि : —

7 एक बारीय नगरीय कर की राशि : 83073/-

(कालम 6 से 10 गुणा राशि)

उपरोक्त राशि अकारे ऊपरे तिरासी ह्यार तिहातर रुपये भव्य

रसीद/चालान नम्बर 798 रुपू 343 दिनांक रुपू 5141 द्वारा जमा कराये गये।
डॉ. 9109 19/5/11 25/2/13

अतः भू आवटन की शर्त संख्या 2 (ब) में अंकित अवधि को अवशेष अवधि के लिए

..... नगरीय कर के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

उपसचिव एवं प्रभावित अधिकारी
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोठर

आज दिनांक 1 माह March सन् 2013 को 14:28 बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री DR ZAFAR MOHD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RASOOL MOHD.
 उम्र 55 वर्ष, जाति MUSLIM व्यवसाय BUSINESS
 निवासी 29-BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

 
 हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
 (2013003488)
 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं 2013003386 दिनांक 01/03/2013
 पंजीयन शुल्क रु० 2450/-
 प्रतिलिपि शुल्क रु० 300/-
 पृष्ठांकन शुल्क रु० ०/-
 अन्य शुल्क रु० ०/-
 कमी स्टाम्प शुल्क रु० ०/-
 कुल योग रु० 2750/-




 (2013003488) उप पंजीयक, KOTA
 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

हस्ताक्षर फोटो

अंगूठा


उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-R. M. EDUCATIONAL TRUST TH MAN. TRUSTY.
 DR ZAFAR MOHD/RASOOL MOHD.
 Age:55, Caste-MUSLIM
 Ocu.-BUSINESS
 R/O-29- BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA



ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रु० 244231/- पूर्व में/मेरे
 समझ/मे सें रु० 244231/-पूर्व में ——————
 यमेरे समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री S. P. PATAHAK
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री S. P. PATAHAK उम्र 61 वर्ष
 जाति BRAHMIN व्यवसाय BUSINESS
 निवासी STATION KOTA



2. श्री/श्रीमती/सुश्री RAM SWAROOP
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PANNA LAL JI उम्र 32 वर्ष
 जाति KHATEEK व्यवसाय PVT JOB
 निवासी MALA PHATAK STATION KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समझ लिये गये हैं।

21म2-4294

(2013003488)

उप पंजीयक, KOTA

आज दिनांक 01/03/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1157
में पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 2013002487 पर
पंजीबद्वि किया गया तथा अतिरिक्त²
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2940
के पृष्ठ संख्या 231 से 236 पर
चर्चा किया गया।



(2013003488) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))





नगर विकास न्यास, कोटा

8

भू-आवंटन पत्र

(क)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन

क्रमांक : 113/

दिनांक : 1/3/2013

- (1) भूखण्ड धारी का नाम
 (2) पति/पिता का नाम
 (3) पता

: आर. सम. रजुकेशनल हस्ट, कोटा
 : मेनेजिंग ड्रस्टी - डॉ. जफर गोहमद पुत्र की सूल गोहमद
 : 29, आकृष्ण वाणी एंग्री, नयापुरा, कोटा

- (4) भूखण्ड संख्या
 (5) योजना का नाम
 (6) सहकारी समिति का नाम
 (7) जोग संख्या

: रप. नं. 30, 38/1, ब. 39/1 (देवलीश्वर) लक्ष्यपत्र 12136.81 व.ग.
 : आर. सम. सजुकेशनल हस्ट, कोटा
 : -पतु-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (3) ब.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्राची का आवासीय/वाणिज्यक उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्त नियम प्रकार होगी:-

- यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
- यह भूखण्ड पर नियमानुसार नगरीय कर देय होगा जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5% - 50% प्रति वर्ग जग है नगरीय कर की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
- भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
- यदि भूखण्ड 500 वर्ग मी. क्षेत्र तक का है, तो उस पर निर्माण इस आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें साइट प्लान के अनुसार सेट बैंक छोड़ने होंगे एवं न्यास के विटिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रत्युत किया जाना आवश्यक होगा।
- इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/ जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/ सरकारी ऋणदात्री संस्था/ एवं दीनपुर्णी अद्या बेशब्द हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी सदा जा सकेगा।
- साइट प्लान न्यास द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
- आवंटी द्वारा सम्बन्धित तियमों, उपनियमों, राज्य सरकार/न्यास के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, नियमों की अनुपालना की जाएगी।
- प्राची के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्राची का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जा सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।
- आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्ताक्षरण बग्र विकास न्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
- यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय/वाणिज्यक प्रयोजनार्थी है निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5 (3) ब.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन वाणिज्यिक विनियमों के प्रवाधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन आयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- भूखण्ड की लीज डीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

भूखण्ड कि लम्बाई X चौड़ाई

सामने (-)
 साइड (-)

पीछे (-)
 (-) वर्ग जग

क्रमांक 12136.81

वर्गीकरण

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

संलग्न सर्टिफिकेट के अनुसार

भवन की अधिकतम स्थीकार्य ऊँचाई

सहायक नगर नियोजक
 नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-

प्रतिलिपि : लेखा शाखा नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ एवं नगरीय कर रजिस्टर तुरंत तैयार करने हैं।

प्राधिकृत अधिकारी (नियमित कर्ता)

नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक : 1/3/2013

नगर विकास न्यास, कोटा



"शैक्षणिक उपयोगनार्थी"

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

"संशोधित पट्टा"

आवासीय/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजनार्थ के लिये भूमि एड़ा-विलेटा



राजस्थान मूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधानों के अनुसार पुनः आवंटित मू-

यह इकायनामा जो आज दिनांक 1131 203 के आवंटन पत्र संख्या 1131 सब को राजस्थान राज्य के ग्राम्यालय जिन्हे इसके पश्चात् भूमिकाएँ कह कर सम्बोधित किया जाये और दूसरी ओर श्री आर. रमेश रेजुक्शनल स्टॉट, काला पुत्रस्त्री प्रेमेजिठा इकायी-जॉ जफर खेहमान हुत्ता स्मूले मोहम्मद जाति व्यवसाय विवासी 29, आकाशवाणी के पीढ़े, नवापुर, कोटा (राज.)

जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया जाये है और इस इवासत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ बिकले, उबके उत्तराधिकारी, विराहक प्रबन्धक, प्रतिविधी और मुल्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे।) के बीच लिखा जाया है। इस बात का साक्षी है कि रुपये 2,44,231/- अंकों दो लाख चावलीस छार दो सीझीरि

रुपये मात्र की रकम में नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदाकर दिया जाया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा लिखादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया जाया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है। जो गृह निर्माण समिति की आर.रमेश रेजुक्शनल स्टॉट विवासी में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अव्वर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संबंध बरकरार में दिखलाया जाया है, और जिसे पूर्ण रूपेण संबंधी स्वत्वे सहित किन्तु विवालिखित तमाम व प्रत्येक अपवादो संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के आधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अवधार्ता -

- उक्त भूखण्ड नगरीय कर के आधार पर लीज होल्ड पर पुकः आवंटित किया जाया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
- ५(अ) पट्टेदार नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्वाम पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में वियमन दर रुपये प्रतिवर्ष जम की दर से कुल राशि विधि की 2.5% की दर से बगीचकर जमा करायेगा। विधारित तिथी तक जमा नहीं करने की दशा में वियमनानुसार देय व्याज राशि वसूल की जायेगी। ३। मार्च से पूर्व अग्रिम नगरीय कर जमा कराने पर वियमनानुसार छूट भी देय होगी।
- ✓(ब) दस वर्ष की अग्रिम नगरीय कर एक मुक्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-५ (२) न.वि.वि. /३/९९ दिनांक १५/११/९९ के अनुसार नगरीय कर आवंटित दर के बजाय केवल वियमन राशि २,४४,२३।/- रुपये की 2.5% प्रति वर्ष की दर से देय होगा।
- नगरीय कर की विधारित धनराशि में प्रत्येक १५ वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर २५% उत्तरोत्तर विधि होगी। १५ वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथी में संगमित की जायेगी।
- उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो नगरीय कर के कारण बाजिल हो, अदायगी करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को भू-राजस्व अधिविधम के प्रावधानों के अव्वर्गत वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल जारी किये गए प्रयोजनार्थ किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का आवंटन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पर ५(३) न.वि.वि./३/९९ दिनांक १०/०७/९९ द्वारा भवन विविधमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिविलता के तहत वियमन योग्य विर्माण ही विर्मित किया जाया है तथा वियमन अयोग्य विर्माण के संबंध में सम्बोधित विविधमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि भूखण्ड ५०० वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर विर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बेक साइट प्लाट के अनुसार छोड़ने होने तथा न्यास के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार विर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित विर्माण के लिये विधारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- यदि भूखण्ड ५०० मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर विर्माण आवंटन पत्र के भवन के नक्शे को वियमनानुसार पास करवा कर कराना होगा।

इष पंजायिक प्रधानमंत्री
ज्ञान (राज.)

8. भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं करवा जा सकेगा।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण बड़ि-न्यास, कोठ के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
10. पछेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या इमारत की किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना समझौते सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति देगा।
11. पछेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टी की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उसका हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड की किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :-(i) आन्तरिक विकास कार्यों की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/कालोनाईजर की है। योजना तक वह विकास हेतु नगर विकास न्यास का स्वामित्व केवल बाह्य विकास शुल्क के पेटे न्यास में जमा राशि तक ही सीमित है। दूसरे दायित्व कालोनाईजर का होगा।

(ii) इस भूखण्ड की नियमन राशि **2,44,231/-** रुपये की पंजीकृत मूल्य राशि रु होती है अतएव स्थाप्त नं. स्थाप्त रु. संख्या बहौसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

कोठ नगर क्षेत्र

ग्राम देवली अरबु	पूर्व - पश्चिम -	भूखण्ड संख्या स्कल पट्टा	सीमाएं रक. नं. 36, 38
खसरा नं. ३०, ३४, ३१	उत्तर - दक्षिण -	कुल क्षेत्रफल 12136.81	पूर्व रक. नं. 29
विस्तृत माप			पश्चिम रक. नं. 30 & 31
क्षेत्रफल 12136.81	योजना/कालोनी का नाम	संलग्न सर्कारी प्लान के अनुसार	उत्तर रक. नं. 37
वर्गीकरण		वर्गीकरण	दक्षिण रक. नं. 38
		आर. एम. रजनुकेशनल इंस्ट्र. काठी	
		सरकार की ओर से	

आज सन् 20 के माह के दे दिन
श्री सक्षम अधिकारी न.वि.न्यास, कोठ
ने निम्न की उपस्थिति में कोठ में हस्ताक्षर किये।

साक्षी :-

1. नाम **भगवदीश शर्मा**
पिता/पति का नाम **श्री छत्तरी लाल शर्मा**
व्यवसाय **परकारी**
निवास स्थान **पट्टा, कोठी**

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
आज दिनांक 20 को

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम **श्री अश्विर भोजनमंड**
पिता/पति का नाम **श्री शुलु भोजनमंड**
व्यवसाय
निवास स्थान **श्रीपुरा, कोठा**

आवंटी के हस्ताक्षर

2. नाम **श्री अश्विर अकबर**
पिता/पति का नाम **श्री अश्विर जलीर**
व्यवसाय
निवास स्थान **श्रीपुरा, कोठा**

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 20 को